न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 54/2017

ओमप्रकाश पुत्र शिवराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 11 जैतसर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर दिनांक 26.05.2017

उपस्थितिः–

श्री अजय तनेजा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीविजयनगर ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष पेश कर राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग 10.08.2016 चालू कदीमी रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर चक 3 एलसीबी के मुरब्बा नम्बर 129/362 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की 0.125 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता के नाम से दर्ज करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पेश होने पर उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर सम्बन्धित को तलब करने के आदेश दिये एवं दिनांक 26.05.2017 को उक्त भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता शिवराम का

23/4/18

देहान्त दिनांक 07.03.2016 को हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया है। मौका पर रास्ता चालू नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत् धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक भूल नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं किया है। ऐसी स्थिति में धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट के पिता की कृषि भूमि में उनकी सहमति से रास्ता स्वीकृत किया गया जाहिर किया है, जबकि उसके पिता की कोई सहमति नहीं दी गई, क्योंकि प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व उनके पिता का देहान्त हो चुका था। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने अनुतोष चाहा।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिसका क्रियात्मक भाग है कि राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में नजरी नक्शा अनुसार खातेदार के खाते में रखते हुए गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। संदर्भ परिपत्र का अवलोकन

23/4/18

किया जो रास्ते सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण अभियान सन् 2016 के लिए रास्ते सम्बन्धी कानून/नियमों का उल्लेख किया गया है जिसमें रास्ता स्वीकृति बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए व इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68–70 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किया जाना निर्देशित है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन प्रावधानों की पालना किये बगैर मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए पठित नियम 68–70 की पालना कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर